राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई–11/नर्सिंग/नर्स–2/एन–51/2021/ दिनॉंक :

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमति नाजमिन शेख नर्स–द्वितीय, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर को अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान जोधपुर में Senior Sanitation Officer Group-B के पद प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन करने की अनुमति निम्नांकित शर्तो के अध्याधीन प्रदान की जाती है –

1. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा ।
2. कार्मिका की प्रतिनियुक्ति अवधि 3 वर्ष तक की होगी अवधि समाप्त होने के तुरंत पश्चात अपनी उपस्थिति विभाग में प्रस्तुत करनी होगी ।
3. प्रतिनियुक्ति हेतु चयन होने पर कार्मिका को विधिवत कार्यमुक्त हो कर कार्यग्रहण करना होगा ।
4. कार्मिक उक्त अवधि में विदेश में नियोजन स्वीकार नहीं कर सकेगी ।
5. कार्मिका की राजस्थान सेवा नियम, 1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ठ–IX के क्रम संख्या 26 के अनुसार प्रतिनियुक्ति की जावेगी ।
6. राज्य हित में प्रतिनियुक्ति को कभी भी निरस्त की जा सकती है ।
7. कार्मिका किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/पदोन्नति की मांग नहीं करेगी ।

उक्त आदेश राज्य सरकार की आई.डी.क्रमांक 157/एम–3 दिनांक 22.03.21 के अनुसरण में जारी किये जा रहे है ।

(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई–11/नर्सिंग/नर्स–2/एन–51/2021/726 दिनॉंक : 20/4/21

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. विशिष्ठ सहायक, कार्यालय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, कार्यालय राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उदयपुर ।
5. अधीक्षक मथुरादास माथुर चिकित्सालय, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक 10604–605 दिनांक 17.08.2020
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबराईट पर अपलोड हेतु ।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर